

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62] No. 62] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 2019/फाल्गुन 6, 1940

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2019/PHALGUNA 6, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2019

सं. 75 / 2015-2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक, 2015-2020 के पैरा 2.54(घ) (V) İV में संशोधन।

फा. सं. 01/89/180/53/एएम−01/पीसी−2[ख.]/खण्ड VII/ई−2382.—विदेश व्यापार नीति 2015−2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा ऐसे समुद्री पत्तनों जहां सुरक्षित देशों/क्षेत्रों से आने वाले धात्विक स्क्रैप के आयात के मामले में पूर्व−पोतलदान निरीक्षण प्रमाण पत्र (पीएसआईसी) में छूट दी गई है, की सूची में मुंद्रा पत्तन को शामिल करते हुए पैरा सं. 2.54 (घ) (v) (iv) में संशोधन करते हैं। संशोधित पैरा को निम्नानुसार पढा जाएगा।

संशोधित पैरा 2.54 (अ) (v) iv: उद्गम देश से धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप की आयात खेपें पूर्व—िनरीक्षण प्रमाण पत्र (पीएसआईसी) के अधीन होंगी। तथापि, सुरक्षित देशों/क्षेत्र अर्थात यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से आयातित धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप (खंडित और अखंडित दोनों) हेतु पीएसआईसी की आवश्यकता नहीं होगी यदि खेप को सात (7) पत्तनों नामतः चेन्नई, तुतीकोरिन, कांडला, जेएनपीटी, मुम्बई, कृष्णापटटनम और मुंद्रा से निकासी दी गई है। इन पांच देषों/क्षेत्रों से खेप के साथ आपूर्तिकर्ता/स्क्रैप यार्ड प्राधिकारी से इस आशय का प्रदान किया गया प्रमाण पत्र संलग्न होगा कि इसमें कोई भी रेडियोधर्मी सामग्री/विस्फोटक शामिल नहीं है। तथापि यह इन पत्तनो पर पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर के माध्यम से रेडियोधर्मी और विस्फोटक जांच के अधीन होगा। इन देशों/क्षेत्रों के माध्यम से ट्रांस—शिपमेंट की इस सुविधा से अनुमित नहीं दी जाएगी। नौ(9) पत्तनों सिहत सभी अन्य पत्तनों के माध्यम से आयात (खंडित स्क्रैप/अपशिष्ट हेतु) उद्गम देश को ध्यान में रखे बिना पीएसआईसी के अधीन होगा।

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव**ः मुंद्रा पत्तन को ऐसे सातवें पत्तन के रूप में शामिल किया जाता है जहां सुरक्षित देषों /क्षेत्रों से आयातित धात्विक स्क्रैप के मामले में पीएसआईसी की आवश्यकता नहीं है। इससे पैरा 2.54 के तहत धात्विक स्क्रैप के आयात हेतु समुद्री पत्तनों की कुल संख्या 14 से बढ़ाकर 15 की जाती है।।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

1262 GI/2019 (1)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 25th February, 2019 No. 75/2015-2020

Subject: Amendment of Para 2.54 (d) (v) (iv) in Handbook of Procedures, 2015-2020.

F. No. 01/89/180/53/AM-01/PC-2[B]/Vol.VII/E-2382.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends the Para No. 2.54(d)(v)(iv) by inserting Mundra to the list of sea ports where Pre-shipment Inspection Certificate (PSIC) is exempted in case of import of metallic scrap coming from safe countries/regions. The amended para will read as under:

Amended para 2.54(d)(v)(iv): Import consignments of metallic waste and scrap shall be subject to preinspection certificate (PSIC) from the country of origin. However, metallic waste and scrap (both shredded and
unshredded) imported from safe countries/region i.e. the USA, the UK, Canada, New Zealand, Australia and the EU will
not require PSIC if consignments are cleared through seven (7) ports namely, Chennai, Tuticorin, Kandla, JNPT,
Mumbai, Krishnapatnam and Mundra. Consignments from these five countries / region will be accompanied by
certificate from the supplier/scrap yard authority to the effect that it does not contain any radioactive materials/
explosives. These will however be subject to radiation and explosive checks through portal monitors and container
scanner at these ports. Trans-shipments through these countries /regions will not be allowed this facility. Import through
all other ports including nine (9) ports (for unshredded scrap/waste), irrespective of country of origin, will be subject to
PSIC.

2. **Effect of this Notification:** Mundra Port is included as seventh sea port where PSIC is not required in case of metallic scrap imported from safe countries/regions. With this, total number of sea ports for import of metallic scrap under para 2.54 is increased from 14 to 15.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.